न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर(हनुमानगढ)

पीठासीन अधिकारी डॉ. हरीतिमा आर0ए0एस

अपील सं0 22/2017 दिनांक : 01.06.2017

1. सतवीर पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी जोजासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

– अपीलांट

बनाम्

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

–असल रेस्पो.

2. हेतराम पिसरान चन्द्राराम जाति जाट निवासी जोजासर तहसील नोहर।
3. काशीराम पिसरान चन्द्राराम जाति जाट निवासी जोजासर तहसील नोहर।
4. गुड्डी पत्नी देवीलाल जाति जाट निवासी जोजासर तहसील नोहर।
5. मैनरा पुत्री देवीलाल जाति जाट निवासी जोजासर तहसील नोहर।

– तरतीबी रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध इंतकाल सं. 197 दिनांक 23.06.2016 तहसीलदार नोहर निरस्त करने बाबत।

उपस्थितः– श्री विजयसिंह कडवासरा, अधिवक्ता, अपीलांट

निर्णय **दिनांकः– 04.12.2017**

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से हैः–

अपील से संबंधित कुर्सीनामा फरीकेन निम्न प्रकार से है–

चन्द्राराम(फौत)––सुगनी(फौत)

।–गोमती, कमला, लिछमादेवी(फौत), हेतराम, काशीराम, देवीलाल(फौत)

।–मांगीलाल, औमप्रकाश, विधि, शारदा, सुनिता गुड्डी पत्नी

रेशमीदेवी, सावित्रीदेवी, मैना, सतवीर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

यह कि उपरोक्त सयुक्त हिन्दु परिवार पैतृक कृषि भूमि खाता सं. 21/15 के ख.न. 18 की 3.5228 है0, ख.न. 35 की 9.130 है0 कुल तादादी 12.6590 है0 वाके रोही मौजा जोजासर तहसील नोहर चन्द्राराम वल्द पन्नाराम जाति जाट साकिन जोजासर तहसील नोहर खातेदार काश्तकार था। तथा वाके रोही मौजा जोजासर तहसील नोहर के खाता सं. 22/14 के ख.न. 7 की 6.9550 है0 ख.न. 22 की 7.8030 है0 ख.न. 53 की 2.3770 है0 ख.न. 97 की 2.1630 है0 कुल तादादी 19.2980 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा में चन्द्रा वल्द पन्ना के 1/2 हिस्सा दर्ज है।

यह कि चन्द्रा वल्द पन्ना का तथा उसकी पत्नी सुगनी का देहान्त हो गया उसके जायज वारिस तीन पुत्रियां गोमती, कमला व लिछमा देवी तथा तीन पुत्र हेतराम, काशीराम, देवीलाल कुल छः वारिस हुए जिसका हर एक 1/6 हिस्सा का हकदार हुए तथा चन्द्राराम की लडकी लिछमा देवी फौत हो चुकी है जिसके वारिस मांगीलाल ओमप्रकाश पुत्रगण लिछमा देवी व विधि, शारदा, सुनीता देवी कुल पांच वारिस है जो माता लिछमा की जगह उसके हिस्सा 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है तथा चन्द्राराम का पुत्र देवीलाल फौत हो चुका है तथा उसका वारिस रेशमी देवी, सावित्री देवी उसकी पुत्रिया व गुड्डी पत्नी देवीलाल व सतवीर पुत्र देवीलाल एवं एक पुत्री मैना सहित कुल पांच वारिस हुए तथा देवीलाल अपने पिता के हिस्सा की भूमि में से 1/6 हिस्सा का हकदार जिसके स्थान पर उसके वारिसान उसके 1/6 हिस्सा के हकदार खातेदार काश्तकार है।

यह कि चन्द्राराम के वारिसान ने दिनांक 05.05.2016 को एक दस्तवरदारी तस्दीक रजि. करवाई तथा उक्त दस्तवरदारी को चन्द्राराम की तीन लडकियों गोमती, कमला व उसके मृतक लडकी लिछमादेवी के वारिसान ने अपना 3/6 हिस्सा भूमि तथा मृतक देवीलाल के वारिस उसकी लडकियां रेशमीदेवी, सावित्री देवी ने अपना हक व हिस्सा जो मृतक देवीलाल 1/6 हिस्सा 2/5 हिस्सा भूमि दस्तबरदारी करवाई तथा उक्त दस्तवरदारी तरतीबी रेस्पो. सं. 2 ता 4 के पक्ष में चन्द्राराम की लडकियां गोमती व कमला व मृतक लडकी लिछमा के वारिसान ने अपना 3/6 हिस्सा भूमि व हिस्सा बराबर दस्तबरदारी करवा दी तथा इसी प्रकार देवीलाल की लडकियां रेशमी देवी व सावित्री ने अपने हिस्सा की भूमि जो देवीलाल के 1/6 हिस्सा में से 2/5 हिस्सा भूमि अपनी माता तरतीबी रेस्पो. सं. 4 गुडी के पक्ष में तस्दीक रजि. करवा दी।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

यह कि उक्त दस्तबरदारी हक त्याग पत्र दिनांक 05.05.2016 के आधार पर चन्द्राराम के वारिसान का वाके रोही मौजा जोजासर तहसील नोहर के ख.न. 18 3.528 है0 व खसरा नं. 35 की 9.131 है0 कुल तादादी 12.659 है0 बाबत मातहत अदालत ने इंतकाल नं. 190 दिनांक 26.05.2016 तो मुताबिक दस्तबरदारी दिनांक 05.05.2016 सही व विधि अनुसार दर्ज कर दिया मगर वादग्रस्त भूमि वाके रोही मौजा जोजासर तहसील नोहर के ख.न. 7 की 6.9550 है0 व ख.न. 22 की 7.803 है0 व खसरा नंबर 53 की 2.377 है0 ख.न. 196 की 2.2163 है0 कुल तादादी 19.298 है0 भूमि खाता विभाजन के आधार पर इंतकाल सं. 197 दिनांक 23.06.2016 बाबत खसरा नं. 7/3 की कुल 3.213 है0 तरतीबी रेस्पो. सं. 2 व 3 का हिस्सा सही दर्ज कर दिया मगर अपीलांट व तरतीबी प्रतिवादी सं. 4 व 5 का 1/9 हिस्सा दर्ज कर रखा है यानि अपीलांट व तरतीबी रेस्पो. सं. 5 दोनों 1/45 हिस्सा व तरतीबी रेस्पो. सं. 4 अकेली 4/45 हिस्सा दर्ज कर रखा है जबकि उक्त भूमि में अपीलांट व तरतीबी रेस्पो. सं. 4 व 5 तीनों 1/3 हिस्सा दर्ज होना चाहिए यानि अपीलांट व तरतीबी रेस्पो. सं. 5 दोनों 2/30 हिस्सा की तथा तरतीबी रेस्पो. सं. 4 अकेली 8/30 हिस्सा की खातेदार काश्तकार दर्ज होना चाहिए था जिससे अपीलांट व तरतीबी रेस्पो. सच. 4 व 5 तीनों योग 1/3 हिस्सा यानि तरतीबी रेस्पो. सं. 5 दोनों 2/30 हिस्सा की तथा तरतीबी रेस्पो. सं. 2 व 2 के बराबर हो सके। उक्त इंतकाल सं. 197 दिनांक 23.06.2016 अपीलांट व तरतीबी रेस्पो. सं. 4 व 5 के हक तक नियमानुसार दर्ज करवाने हेतु यह अपील अपीलांट निम्न आधार पर प्रस्तुत करते है:–

1. यह कि आदेश दिनांक 23.06.2016 तथा उसके आधार पर दर्ज व तस्दीक इंतकाल सं. 197 बखिलाफ कानून नियम व वाक्यात व रूहदाद मिसल है तथा काबिल मन्सुखी है तथा सत्य प्रतिलिपि इंतकाल सं. 197 दिनांक 23.06.2016 बअदालत सलंग्न अपील है।
2. यह कि मातहत अदालत ने दस्तबरदारी दिनांक 05.05.2016 के आधार पर हक व हिस्सा दर्ज होने के पश्चात खाता विभाजन का इंतकाल सं. 197 दिनांक 23.06.2016 बअदालत मातहत अपीलांट व तरतीबी रेस्पो. सं. 4 व 5 का हिस्सा गलत दर्ज किया है जबकि भूमि पुरी दर्ज है तथा उक्त इंतकाल में तरतीबी रेस्पो. सं. 4 का 5/45 हिस्सा की जगह 8/38 हिस्सा दर्ज होने से तथा अपीलांट व रेस्पो. सं. 5 दोनों का हिस्सा 5/45 की जगह 2/30 हिस्सा दर्ज दर्ज होने से उक्त ख.न. 7/3 की 3.213 है0 में अपीलांट व तरतीबी रेस्पो. सं0 4 व 5 हिस्सा 1/9 हिस्सा की जगह 1/3 हिस्सा दर्ज

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

होने से पुरा खसरा की भूमि तरतीबी रेस्पो. सं. 2 व 3 के हिस्सा अनुसार दर्ज हो जाती है तथा पुरी भूमि का सही खाता विभाजन हो जाता है मगर मातहत अदालत ने घोर लापरवाही में आदेश पारित किया है जो अपीलांट व तरतीबी रेस्पो. सं. 4 व 5 के हक तक वादग्रस्त भूमि बाबत नियमानुसार दर्ज करवाने के अधिकारी है।

3. यह कि मातहत अदालत ने आदेश दिनांक 23.06.2016 तथा उसके आधार पर दर्ज व तस्दीक इंतकाल नंबर 197 की कार्यवाही में भू–राजस्व अधिनियम की सही नियमानुसार कार्यवाही नही की है इसलिए इंतकाल सं. 197 दिनांक 23.06.2016 अपीलांट व तरतीबी रेस्पो. सं. 4 व 5 की हद तक काबिल अपास्तनीय है।
4. यह कि अपीलांट की तरफ से आदेश दिनांक 23.06.2016 उसके आधार पर दर्ज व तस्दीक इंतकाल के खिलाफ पूर्व में कोई अपील आदि अन्य किसी न्यायालय में जैरकार नही है तथा यह प्रथम अपील है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट एवं रिकार्ड की तलबी की गई। रिकार्ड प्राप्त हुआ। रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नही। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रोही मौजा जोजासर कीकुल 12.6590 है0 भूमि चन्द्रराम जाट की खातेदारी भूमि थी व इसी ग्राम की कुल 19.2980 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा में चन्द्राराम का 1/2 हिस्सा दर्ज है। चन्द्रा व उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका है इसकी जायज वारिस अपीलांट व रेस्पो. सं. 2 ता 5 है। जिनका उक्त भूमि में बहिस्सा बराबर से प्रत्येक का 1/6 हिस्सा के हकदार है। चन्द्राराम की एक लडकी लिछमा देवी फौत हो चुकी है। जिसकी के भी कुल पांच वारिस है जो अपनी माता लिछमा की जगह 1/6 हिस्सा के हकदार है। चन्द्राराम के वारिसान ने एक दस्तवरदारी उसकी तीनों लडकियों ने व मृतक लडकी लिछमा देवी के वारिसान ने अपना 3/6 हिस्सा मृतक देवीलाल के वारिस उसकी रेशमी देवी, सावित्री देवी ने अपना हक व हिस्सा की दस्तवरदारी तरतीबी रेस्पो. सं. 4 के पक्ष में तस्दीक करवा दी। उक्त हक त्याग के आधार पर कुल 12.659 है0 भूमि का इंतकाल नं. 190 मुताबिक दस्तवरदारी दिनांक 05.05.16 सही व विधि अनुसार दर्ज कर दिया मगर वादग्रस्त भूमि रोही मौजा जोजासर के खसरा नंबर 7, 22, 53, 196 की कुल 19.298 है0 भूमि की खाता विभाजन के आधार पर इंतकाल संख्या 197 दिनांक 23.06.2016 से तरतीबी रेस्पो. सं. 2 व 3 का तो सही हिस्सा दर्ज कर दिया मगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अपीलांट व तरतीबी रेस्पो. 4 व 5 का हिस्सा 1/9 गलत दर्ज कर दिया। जबकि अपीलांट व तरतीबी रेस्पो. दोनो 1/45 हिस्सा व तरतीबी रेस्पो. सं. 4 अकेली 4/5 हिस्सा दर्ज कर रखा है। जबकि उक्त भूमि में अपीलांट व तरतीबी रेस्पो. सं. 4 व 5 का 1/3 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था। इसी प्रकार उक्त इंतकाल गलत दर्ज किया गया है इसलिए इंतकाल सं. 197 दिनांक 23.06.2016 अपीलांट व तरतीबी रेस्पो. सं. 4 व 5 की हद तक काबिल खारिजी के है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर इंतकाल संख्या 197 दिनांक 23.06.2016 बाबत खाता विभाजन अपीलांट व तरतीबी रेस्पो. सं. 4 व 5 की हद तक अपास्त फरमाया जावे व नियमानुसार भूमि में हिस्साकसी दर्ज कर इंतकाल दर्ज किया जावे।

राज्य पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नही इसलिए एकपक्षिय बहस वकील अपीलांट सुनी गई। पत्रावली व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार के खाता विभाजन आदेश दिनांक 16.06.2016 व नजरी नक्शा मुताबिक खाता विभाजन व हक हिस्सा के बनाया गया है उस पर अपीलांट व रेस्पो. ने सहमति पर हस्ताक्षर किये है। अब यह हिस्साकसी गलत किस प्रकार से कही जा सकती है, फिर भी अगर विभाजन आदेश में कोई हिस्साकसी गलत रूप से दर्ज हुई है तो विभाजन आदेश की अपील की जा सकती है ना कि इंतकाल के द्वारा शुद्धि करवाई जा सकती है। प्रस्तुत इंतकाल के अवलोकन से यह सिद्ध होता है कि इंतकाल दर्ज करते समय कोई त्रुटी होनी साबित नही। अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 04.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. हरीतिमा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर